U.O.N/NOTT-0/NOT-4/26

विषय:— याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. नं0 244/16 श्री प्रवीण संत कुमार अधीक्षक तत्कालीन लेखा अधीक्षक वृत्त कार्यालय सिवनी , विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य । संदर्भ:—मुख्य वन संरक्षक सिवनी का पत्र कमांक स्था./03/न्याया./284 दिनांक 24.02.2016

8432

-0-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री प्रवीण संत कुमार अधीक्षक द्वारा मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. नं0 244/16 दायर की गई है। प्रकरण में वनमंडलाधिकारी दक्षिण सिवनी वनमंडल को शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अतः मुख्य वन संरक्षक सिवनी के प्रस्ताव अनुसार शासन का पक्ष समर्थन हेतु वनमंडलाधिकारी दक्षिण सिवनी वनमंडल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। संलग्न:— अभिलेख 1 से 58 तक।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।)

मध्यप्रदेश भोपाल 16-03- 2016

पदेन सचिव, वन, आई.डी.सी.

उपरोक्त प्रस्तावानुसार वर्गन्या दक्षिण विवनी कामण्डल, की प्रभारी क्षियकारी निमुक्त किया गुणा | कृपमा विधित्रिणा द्वारा पद्ध समर्थन का कादश आरी करने का कष्ट करें।

विधि विभाग

Come 10

A THE

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 095
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अभिष्ट विकास किया को माननीय उच्च न्यायालय असिकार के प्रकरण क्रमांक/ असे नियम के नियम क

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) सभस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनार्ये तथा आदेश एकत्रित करेगा 🕆
- (3) वादपत्र/याधिका में उडाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा ।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवायेगा ।
- (6) प्रमारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :--
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (फ) प्रस्तायित लिखित कथन का एक प्रारुप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साध्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है!
 - (घ) मामले के विश्वीकरण के लिए आवश्यक कार्यज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की **तारीख भी वर्णित हो**नी चाहिये ।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।
- (8) जब भी कोई आदेश,/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, जब विधि विमाग को सूचित करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग को भेजेगें ।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध—शासकीय पत्र के मध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नही रह जाये ।

- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागध्यक्ष के मध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साध् भेजी जाये।
- (14) प्रमारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जेहां किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएय एतद् उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विमागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल अवदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्परचात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयाविध में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित कराते हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अमीत के अविभवत सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं प्रदेश समिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक : 17 /03/2016

पृ. क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 095 प्रतिलिपः=

1,	महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय
2.	प्रमुख सचिव, म <u>.</u> प्र. शास् न्,विधि और विधाय<u>ी क</u>ुार्य विभाग भोपाल
3.	जिलाध्यक्ष प्रिक्त जिला हिन्द्र म.प.।
4.	द्वाराम् प्रकार प्रमास अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय
	अधिवक्ता से संपर्क कर और " चपस्थिति प्रमाण पत्र " प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्ये क भेंट (विजिट)
	पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विमागाध्यक्ष को
	भेजने हेतु अग्रेषित । मामले की प्रगति/रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए (
5.	की ओर लेख है कि प्रकरण से संबंधित वा धिका एवं समस्त

दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सींपकर इस विमाग को अवहात कराने का कन्ट करें । 6. मुख्य वन संरक्षक <u>रिसेट्स की ज</u>ात्काल सींपकर इस विमाग को अवहात कराने का कन्ट करें ।

उप वन संरक्षक न्यायालीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश ।

9. रिफिस्ट्रार म०प्र० उच्च न्यायालय म०प्र०।

10. शासकीय अधिवक्ता मояо उच्च न्यायालय 🚉 📆 📆 🛴 нояо ।

11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता शिकायत/नोडल अधिकारी न्यायालीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल ।

वनोपज अन्दर्गिमागीय समिति एवं पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विमाग